राम पाल-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

1984 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 3240

31 अगस्त 1989.

पिछले वर्षों की चरित्र पंजियों के आधार पर सरकारी सेवक की बर्खास्तगी - अपीलकर्ता को कोई नोटिस नहीं कि ऐसी नामावलियों पर विचार किया जाएगा - 'अनुमानित ज्ञान' या 'उद्देश्यहीन जांच' के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है - बर्खास्तगी - चाहे वह रद्द की जा सकती हो।

माना गया कि सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को केवल इस कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि सजा देते समय उपयुक्त प्राधिकारी ने वादी को दी गई विभिन्न प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार किया था और उसके पास किसी भी समय ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था। उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच के समापन पर वादी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में केवल यह कहा गया था कि जांच अधिकारी द्वारा वादी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए थे और सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम राय थी कि बर्खास्तगी का दंड बल लगाया जाना चाहिए.

माना गया कि वादी को किसी भी समय यह सूचित नहीं किया गया कि सजा देते समय पिछले वर्षों की चरित्र पंजिका को ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारी उन तथ्यों को जानने का हकदार है जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे दंड देने में विचार किया जाएगा। उसके लिए यह जानना संभव नहीं है कि उसके पिछले रिकॉर्ड की कौन सी अवधि या किसी विशेष अवधि

में उसके कौन से कार्य या चूक होंगे। माना जा रहा है। यदि यह तथ्य उनके ध्यान में लाया जाता है, तो वह स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कि उनके पास कथित टिप्पणियों के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था या टिप्पणियों के लिए उनका बाद का आचरण अनुकरणीय था या किसी भी तरह से उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित दर. न्यायालय 'अनुमानित ज्ञान' या 'उद्देश्यहीन जांच' के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी स्वीकृति उचित अवसर के सिद्धांत के प्रतिकूल होगी। (पैरा 5)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बाला की अदालत के डिक्री से नियमित द्वितीय अपील। दिनांक 22 अगस्त, 1984 को उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अम्बाला शहर की दिनांक 25 नवंबर, 1983 की याचिका को उलट दिया गया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया, और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

दावा: इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री के लिए कि सेवा से बर्खास्तगी की आक्षेपित सजा वादी पर लागू की गई है, - विद्वान के आदेश दिनांक 28 सितंबर, 1979 द्वारा

कमांडेंट, प्रथम बटालियन, एच.ए.पी. अम्बाला सिटी अवैध, असंवैधानिक, अनुचित, अनावश्यक और वादी पर बाध्यकारी नहीं होने के कारण, सभी मामलों में अमान्य है और एक अतिरिक्त राहत के साथ कि वादी सभी विभागीय लाभों का हकदार है जैसे कि वह कभी बर्खास्त नहीं हुआ और अभी भी सेवा में है।

अपील में दावा: नीचे दी गई दोनों अदालतों के आदेश को उलटने के लिए।

अपीलकर्ता की ओर से एच.एस. गिल, अधिवक्ता।

राम चंदर एडवोकेट, ए.जी. हरियाणा की ओर से।

<u>फैसला</u>

जी. आर. मजीठिया, जे.-

(1) यह नियमित दूसरी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसने अपील पर वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया था; अपीलकर्ता

<u>तथ्य:</u>

(2) अपीलकर्ता (बाद में वादी के रूप में संदर्भित) पहली बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस में एक कांस्टेबल था। कदाचार के आरोप के आधार पर विभागीय जांच के आदेश दिये गये. जांच अधिकारी ने उन पर लगाये गये आरोप में उन्हें दोषी पाया. सक्षम प्राधिकारी ने 28 सितंबर, 1979 के आदेश के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। वादी ने सिविल मुकदमे में बर्खास्तगी के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी, जिसमें यह भी शामिल था कि सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा था। उनकी सेवा में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज की गईं। वादी का आरोप है कि: सजा देते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सूचित नहीं किया गया कि सजा देने के लिए उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। प्रतिवादी/प्रतिवादी द्वारा मुकदमा लड़ा गया और महत्वपूर्ण आरोपों से इनकार किया गया।

(3) पार्टियों की दलीलों ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया: -

(i) क्या आक्षेपित आदेश दिनांक 522 सितंबर, 1 1979 कमांडेंट प्रथम बटालियन एच.ए.पी. द्वारा पारित किया गया था? जैसा कि आरोप लगाया गया है, अम्बाला शहर अवैध, अशक्त और शून्य है? ओपीपी.

(ii) क्या वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है? ओपीडी.

(iii) क्या मुकदमा चलने योग्य नहीं है? ओपीडी.

(iv) राहत.

(4) विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में मुद्दा संख्या 1 और मुद्दा संख्या 1 का उत्तर दिया। 2 और 3 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया और मुकदमे का फैसला सुनाया। अपील पर, विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या 1 के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया।

(5) उन विभिन्न आधारों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन पर बर्खास्तगी के आदेश पर आपत्ति जताई गई थी। सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को केवल इस कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि सजा देते समय उपयुक्त प्राधिकारी ने वादी को दी गई विभिन्न प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार किया था और उसके पास किसी भी समय उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं था। प्रविष्टियाँ। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच के समापन पर वादी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में केवल यह कहा गया था कि जांच अधिकारी द्वारा वादी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए थे और सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम राय थी कि जुर्माना लगाया जाए। बल से बर्खास्तगी लागू की जानी चाहिए। वादी के विरुद्ध जो आरोप तय किया गया था वह इस प्रकार है:

<u>आरोप</u>

मैं, भगत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम बटालियन। एचएपी, अम्बाला सिटी ने कांस्टेबल राम पाल नंबर 1/155 पर निम्नानुसार निलंबन का आरोप लगाया: -

“जब वह एचएपी प्रथम बटालियन में तैनात थे। एचएपी अम्बाला सिटी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अशिष्ट और अनुशासनहीन था।

24 जून, 1979 को सुबह 7.30 बजे रोल कॉल के समय आपको डीडीई संख्या 41 द्वारा अनुपस्थित दर्शाया गया था। लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न। उसी दिन आपको श्री हरबंस सिंह आर.आई. और श्री मुलख राज एस.आई./लाइन्स ऑफिसर ने ओल्ड मेस बैरक में एक चारपाई पर लेटे हुए पाया था। आर.आई. ने आपसे आपका अनुपस्थिति रिटर्न डी.डी. में दर्ज करवाने को कहा। परन्तु आपने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।

25 जून, 1979 को जब लाइन्स ऑफिसर आउटडोर रोगी सिपाहियों को परेड ग्राउंड से अस्पताल ले जा रहे थे तो आप छप्परवाली बैरक के पास निजी कपड़ों में उपस्थित हुए और कहा कि उनका नाम भी आउटडोर रोगी रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। लाइन्स अधिकारी श्री मुलख राज ने उत्तर दिया कि आप कल से अनुपस्थित हैं, आप पहले अपनी रिटर्न रिपोर्ट डी.डी. में दर्ज करवा लें। और उसके बाद आपका नाम आउटडोर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इस पर आप क्रोधित हो गये और एल.ओ. से अभद्र व्यवहार किया। अभद्रता और गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए एल.ओ. की ओर बढ़ गए। जबरन रजिस्टर छीनने का, लेकिन. हेड कांस्टेबल जयपाल सिंगब नंबर 1/55 के समय पर पहुंचने और हस्तक्षेप के कारण छीना नहीं जा सका, जिसके साथ घटना कांस्टेबल द्वारा देखी गई थी। बलबीर सिंह नं. 1/366 एवं कां. तेजा सिंह नंबर 1/546 जिनके हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ।

यह भी आरोप लगाया गया है कि आपने डी.डी. में अपना रिटर्न दाखिल करते समय रजिस्टर, क्रमांक 2 दिनांक 25 जून 1979 प्रातः 9.00 बजे। एचसी जयपाल सिंह नंबर 1/55 और कांस्टेबल के साथ फिर से दुर्व्यवहार किया गया। बटालियन मुख्यालय के एमएचसी के कार्यालय में निरंजन सिंह नंबर 1/194 और जरनैल सिंह नंबर 1/746 ने गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया।

आपका ये कृत्य एक पुलिस अधिकारी के लिए अशोभनीय गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता है।"

जांच अधिकारी ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि आरोप सिद्ध हुआ। बर्खास्तगी प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद यह भी पाया कि आरोप सिद्ध हो गया है और स्पष्टीकरण अस्वीकार किये जाने योग्य है। ऐसा करने के बाद, उन्होंने वादी की चरित्र पंजिका पर विचार किया, जहां उन्हें वर्ष 1977, 1978 और 1979 के लिए दंड दिया गया था। इन सभी को देखने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने माना कि सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया जाना चाहिए। वादी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी को किसी भी समय सूचित नहीं किया गया था कि सजा देते समय पिछले वर्षों के चरित्र रोल को ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारी उन तथ्यों को जानने का हकदार है जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। उसे सज़ा देने में. उसके लिए यह जानना संभव नहीं है कि उसके पिछले रिकॉर्ड की कौन सी अवधि या किसी विशेष अवधि में उसके कौन से कार्य या चूक पर विचार किया जाएगा। यदि यह तथ्य उनके ध्यान में लाया जाता है, तो वह स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कि उनके पास कथित टिप्पणियों के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था या टिप्पणियों के लिए उनका बाद का आचरण अनुकरणीय था या उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कोई भी दर।

अदालतें "अनुमानित ज्ञान" या "उद्देश्यहीन जांच" के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी स्वीकृति उचित अवसर के सिद्धांत के प्रतिकूल होगी। इसलिए, दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देना प्राधिकारी का कर्तव्य है और यदि प्रस्तावित सजा भी उसकी पिछली सजाओं या उसके पिछले खराब रिकॉर्ड पर आधारित है, तो यह होना चाहिए दूसरे नोटिस में शामिल किया जाए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सकें।

(6) दूसरे कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख नहीं किया गया कि सक्षम प्राधिकारी का इरादा उसे सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव करते समय उसकी पिछली सजाओं को ध्यान में रखना था। दूसरा कारण बताओ नोटिस भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। मैसूर राज्य बनाम मांचे गौड़ा, (1) मामले में शीर्ष अदालत की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा, जहां इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था:

कला के तहत. संविधान के 311(2) के अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, एक सरकारी कर्मचारी के पास न केवल यह साबित करने का उचित अवसर होना चाहिए कि वह उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं है, बल्कि यह भी स्थापित करने के लिए कि प्रस्तावित सजा दी जानी चाहिए। न माँगा गया या अत्यधिक। उक्त अवसर एक उचित अवसर है और इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी को उन आधारों के बारे में बताया जाना चाहिए जिन पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है: असम राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय देखें बिमल कुमार पंडित, (2) सिविल अपील संख्या 832, 1962 डी/12 फरवरी, 1963। यदि नोटिस में आधार नहीं दिए गए हैं, तो उनके लिए यह बताना लगभग असंभव होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी विशेष दंड का प्रस्ताव करने में संबंधित प्राधिकारी; वह यह बताने की स्थिति में नहीं होगा कि वह किसी सज़ा का हकदार क्यों नहीं है या प्रस्तावित सज़ा अत्यधिक है। यदि प्रस्तावित सज़ा मुख्य रूप से किसी सरकारी

कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड पर आधारित थी और नोटिस में खुलासा नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह होगा कि प्रस्तावित सजा का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारी की जानकारी से छुपाया गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि सरकार द्वारा उसे सजा देते समय उसके पिछले रिकॉर्ड को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा; न ही यह कहना पर्याप्त उत्तर होगा कि वह वास्तव में जानता था कि उस पर पहले की सज़ाएं लगाई गई थीं या उसे अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में पता था। यह विवाद वास्तविक बिंदु को भूल जाता है, अर्थात, सरकारी कर्मचारी कुछ तथ्यों का ज्ञान पाने का हकदार नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि सरकार उसे सजा देने में उन तथ्यों पर विचार करेगी।

के. मांचे गौड़ा के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने एलजी के रूप में रिपोर्ट की। पंजाब बनाम बलबीर सिंह, (3) ने पुलिस महानिरीक्षक के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने दया याचिका का निपटारा करते समय अधिकारी की सेवा के चेक किए गए रिकॉर्ड पर विचार किया जो आरोप पत्र का हिस्सा नहीं था। ऐसे में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता। मामले के इस पहलू से निपटते समय विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

“जैसा कि 28 सितंबर, 1981 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होगा, कमांडेंट एच.ए.पी. अपने आदेश के दौरान उन्होंने नोट किया कि उन्होंने वादी के पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया था और वादी के खिलाफ लंबित शिकायतों को भी नोट किया था। विद्वान सरकारी वकील यह भी आरोप नहीं लगा सके कि कमांडेंट ने किसी भी समय वादी को रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान की थीं।“

निचली अपीलीय अदालत ने अपने फैसले के पैरा संख्या 16 में विद्वान ट्रायल जज के निष्कर्ष को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटाया: -

“निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकारी पिछले दंडों पर विचार कर सकता है जो वादी को उचित अवसर के बाद दिए गए थे और इन मामलों में उसे दंड देने से पहले उस समय उचित अवसर प्रदान किया गया था और वर्तमान मामले में ऐसा था उसे पुरानी सजाओं में कोई अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है

बर्खास्तगी की सजा देने से पहले सक्षम प्राधिकारी ने वादी को व्यक्तिगत रूप से सुना और फ़ाइल पर सटीक आदेश इस प्रकार है: - “डिफॉल्टर कांस्टेबल उपस्थित है। उनका नजरिया सुना.

उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया। उनका ध्यान उनके द्वारा किए गए विभिन्न आयोगों और चूकों की ओर आकर्षित किया गया (वे पिछले दंडों आदि का जिक्र कर रहे हैं)। मैंने फिर से अपना दिमाग लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बर्खास्तगी की सजा पूरी तरह से उचित है।

ये अवलोकन रिकॉर्ड से परे हैं। 25 सितंबर 1979 के बर्खास्तगी आदेश से यह नहीं पता चलता कि वादी को उसके पिछले आचरण के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दर्ज होने के बाद, इस आशय का एक नोट है कि दोषी कांस्टेबल उपस्थित है और उसे उन आधारों के बारे में बताया गया है जिनके आधार पर सजा दी गई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले कुछ भी गलत नहीं किया है. उनका ध्यान विभिन्न आयोगों और

चूकों वाले पिछले रिकॉर्ड की ओर आकर्षित हुआ। जांच फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि इस नोट पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिसने इसे रिकॉर्ड किया है और यह बर्खास्तगी के आदेश का हिस्सा नहीं है। फ़ाइल से यह स्पष्ट नहीं है कि वादी के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद किस समय और किसने फ़ाइल पर यह नोट दर्ज किया। विद्वान अपीलीय न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती कर रहे हैं कि वादी को अपनी पिछली चूकों और कमीशनों के लिए स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था, जबकि प्राधिकारी ने सजा देते समय इसे ध्यान में रखा था।

उपरोक्त कारणों से, प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को केवल ऊपर बताए गए आधार पर बहाल किया गया है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

(1) AIR 1964 S.C. 506

(2) AIR 1963 S.C. 1612

(3) 1973(2) S.L.R 271

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा